बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः–3/अ0प्र0–1–30/2020 1525 /पटना, दिनांक :– 30.6.23

कार्य प्रमंडल, पुपरी के अधीन वर्ष 2017 में विभिन्न प्रखंडों में अप्रत्याशित बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों में कराये गये अस्थायी (आपातकालीन) मरम्मति कार्य की जाँच जिलाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा विभिन्न छः प्रखंडों के लिए गठित अलग–अलग जाँच दल से करायी गयी। जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन दिनांक–09.08.2019 के आलोक में पथों के मरम्मति कार्य में पायी गयी अनियमितता के लिए श्री सुरेश कुमार झा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए संकल्प ज्ञापांक–578 अनु0 दिनांक–08.03.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–3–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–3154 अनु0 दिनांक–02.11.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री झा के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

3. इस बीच श्री झा के दिनांक 31.10.2022 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–793 दिनांक 24.04.2023 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री झा से विभागीय पत्रांक–790 अनु0 दिनांक–24.04.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

5. श्री झा से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान दिनांक–08.05.2023 की समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से करायी गयी। समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा वर्ष फरवरी 2019 में उक्त पथों की अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी से जाँच करायी गयी है। वर्ष 2017 के बाढ़/अतिवृष्टि में कराये गये अस्थायी मरम्मति कार्य का उचित जाँच वर्ष 2019 में संभव नहीं है। मुख्य अभियंता–3 की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति द्वारा इससे पूर्व दिनांक–14.08.2018 को किये गये Random जाँच में सभी कार्य को संतोषप्रद पाया गया है।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सुरेश कुमार झा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति सेवानिवृत के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य पाते हुए प्रश्नगत आरोपों से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री सुरेश कुमार झा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रश्नगत आरोपों से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/6/2023

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–30/2020 1526 /पटना, दिनांक :– 30.6.23

प्रतिलिपि :–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आई0टी0 मैनेजर/ श्री सुरेश कुमार झा, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पुपरी सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, पत्राचार का पताः–मो0 रूप तारा निवास, बैंकर्स कॉलोनी, लक्ष्मीसागर, थाना–सदर थाना, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/6/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–30/2020 1526 /पटना, दिनांक :– 30.6.23

प्रतिलिपि :–माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

28/6/2023

विशेष सचिव